

सं.लो.से.आ. को भेजे जाने वाली अधियाचना के लिए प्रपत्र

(कृपया इस प्रपत्र को दो प्रतियों में विधिवत रूप से भरकर प्रस्तुत करें)

अधियाचनाकर्ता संगठन का नाम:

पद (दों) पर भर्ती:

1. क्या अधियाचनाकर्ता अधिकारी को प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा सं.लो.से.आ. को सीधे अधियाचना प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है:

2. पदों का संक्षिप्त विवरण:

पदनाम	वेतनमान और कुल परिलब्धियां* (मकान-किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का छोड़कर)	ग्रुप और सेवा संवर्ग	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	
			स्थायी	अस्थायी

“आयोग द्वारा, विशेष रूप से योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए उच्चतर प्रारंभिक वेतन की संस्तुति की जा सकती है” ।

3. (क) उन रिक्तियों की संख्या जिनके लिए अधियाचना भेजी जा रही है:-

श्रेणी	स्थायी	अस्थायी	कुल
(i) अनुसूचित जाति			
(ii) अनुसूचित जनजाति			
(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग			
(iv) अनारक्षित			
(v) शारीरिक रूप से विकलांग			
(i) से (iv) तक का योग			

(ख) क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से भरे जाने के लिए उपयुक्त रिक्ति/रिक्तियों की पहचान कर ली गई है:-

निशक्तता श्रेणी	अनुमेय निशक्तता
(i) दृष्टिहीनता या कमजोर दृष्टि	

(ii) श्रवण बाधित	
(iii) अस्थि विकलांग/चलने में असमर्थ/प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात	
कुल:	

(टिप्पणी:- जबकि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए आरक्षण उर्ध्वधर है वहीं निशक्त व्यक्तियों के लिए यह क्षैतिज है।)

(ग) रिक्तियां कैसे उत्पन्न हुईं?

(घ) क्या स्क्रीनिंग कमेटी ने का. एवं प्र. विभाग के दिनांक 16.05.2001 के का.ज्ञा. सं. 2/8/2001-पीआईसी के अनुसार रिक्ति (रिक्तियां) स्पष्ट कर दी हैं?

(ङ) क्या अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए आरक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.07.97 के का.ज्ञा. सं.36012/2/96-स्थापना (आ.) के अनुसार रोस्टर पर आधारित पदों के आधार पर तैयार किया गया है?

4.(क) यदि रिक्ति/रिक्तियां स्थाई/अस्थायी है/हैं, तो इन्हें किस आधार पर भरा जाना है (समुचित रूप से निशान लगाएं)

(ख) यदि रिक्ति/रिक्तियां अस्थायी है/हैं, तो क्या ये गृह मंत्रालय के दिनांक 08.06.67 के का.ज्ञा. सं.एफ 2/4/67-स्थापना (ख) के अनुसार तीन वर्षों से अधिक समय तक विद्यमान रहेंगी?

5. वर्तमान में अधियाचित पद(पदों) के संबंध में, क्या मुकद्दमा किसी भी न्यायालय में न्यायालयाधीन है/लम्बित है?

(क) यदि हां, तो ओए सं./सीडब्ल्यूपी सं./एसएलपी सं. आदि के साथ मामले की वर्तमान स्थिति दर्शाएं। न्यायालय से प्राप्त निदेशों की एक प्रति, यदि हो तो, अधियाचना के साथ संलग्न करें।

(ख) वर्तमान अधियाचना पर ऐसे अदालती मामले से पड़ने वाले प्रभाव को भी स्पष्ट करें।

(टिप्पणी – अधियाचना भेजने के पश्चात उठे अदालती मामले (मामलों) का विवरण, यदि कोई हो, और भेजी गई अधियाचना पर पड़ने वाले ऐसे अदालती मामले (मामलों) के प्रभाव के बारे में शीघ्र ही, और बिना किसी विलम्ब के आयोग को अवगत कराया जाए।

6. क्या सं.लो.से.आ. द्वारा पदों के लिए भर्ती नियमों को अनुमोदित कर दिया गया है?

(क) यदि हाँ, तो आयोग के पत्र की तारीख तथा संदर्भ संख्या बताएं और नियमों की अद्यतन और प्रमाणिक प्रति संलग्न करें। जीएसआर सं. सहित अधिसूचित भर्ती नियमों के साथ अद्यतन संशोधनों की अनुप्रमाणित और प्रमाणिक प्रति यदि कोई हो, अधियाचना के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ख) यदि संलग्न न किया हो तो कारण बताएं।

(ग) कृपया बताएं कि भर्ती नियमों के संशोधन/सुधार हेतु कोई संदर्भ आयोग को भेज दिया गया है। यदि हाँ, तो मंत्रालय/विभाग का पत्र सं. और तारीख बताएं।

7. क्या पैरा 6 (क) से (ग) में संदर्भित अधिसूचित भर्ती नियम आज से पांच वर्ष और उससे अधिक पुराने हैं।

(क)(1) यदि इन नियमों की पुनरीक्षा की गई थी तो आयोग को भेजे गए प्रस्ताव की संदर्भ सं. और तारीख बताएं।

(क)(2) यदि पुनरीक्षा नहीं की गई है तो कारण बताएं।

(क)(3)क्या वर्तमान पद (पदों) की जो अधियाचना भेजी गई है उन्हें मौजूदा भर्ती नियमों के आधार पर विज्ञापित किया जाना/भरा जाना है, जो पांच वर्ष से अधिक पुराने हैं।

(ख)(1) क्या मौजूदा भर्ती नियमों की अधिसूचना के पश्चात अब अधियाचित किए गए पद (पदों) का कभी उन्नयन किया गया था।

(ख)(2)यदि हां, तो आयोग को भेजे गए मंत्रालय/विभाग के पत्र का संदर्भ और तारीख बताएं। अधिसूचना की जी एस आर संख्या और तारीख बताएं।

(ख)(3)यदि आयोग से सम्पर्क नहीं किया गया था, तो कारण बताएं।

8. कृपया बताएं कि क्या वर्तमान रिक्ति या रिक्तियां सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत आती हैं।

9.(क) यदि भर्ती नियमों में अन्य तरीकों की भी व्यवस्था है तो कृपया संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई कार्रवाई और संदर्भ तथा पत्राचार की तारीख बताएं।

(ख) यदि सीधी भर्ती के लिए वर्तमान अधियाचना, भर्ती की किसी अन्य पद्धति के कारण, विफल हो गई है तो मंत्रालय/विभाग को सीधी भर्ती के उपाय के लिए आयोग की सलाह की संदर्भ संख्या और तारीख बताएं।

10. योग्यता (एं)

(क) अनिवार्य:

(ख) वांछनीय:

(ग) अनुभव:

11. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आयु सीमा (सीमाएं) एवं अनुमेय छूट।

12. परीक्षा की अवधि
13. ड्यूटी का संक्षिप्त विवरण (संक्षिप्त में 40 शब्दों से अधिक न लिखें)
14. वे स्थान जहां अधिकारी द्वारा सेवा किया जाना अपेक्षित है।
15. क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 30 के तहत अनुमेय सेवा में वर्धित वर्षों का लाभ लागू है।
16. उपर्युक्त में शामिल नहीं की गई अन्य अपेक्षा या शर्तें।
17. यदि सदृश पदों पर पहले सीधी भर्ती की गई है तो आयोग से की गई अद्यतन पत्राचार का संदर्भ और तारीख का उल्लेख करें।
18. मंत्रालय के प्रतिनिधि का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या जिनके साथ इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाना है।
19. प्रमाणित किया जाता है कि:
 - क) निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति सहित सेवा में आरक्षण संबंधी नीति का ध्यान रखा गया है। रिपोर्ट की गई आरक्षण स्थिति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुरूप हैं, और
 - (*i) कि इस अध्याचना के अंतर्गत ----- के पद को निशक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाया गया या इन पर उनकी तैनाती की जा रही है। निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को प्रपत्र में समुचित रूप से दर्शाया गया है।

अथवा

- (*ii) कि इस अध्यायना के अंतर्गत ----- के पद को निशक्त व्यक्तियों की तैनाती किए जाने योग्य पाया गया है। प्रस्तावित रिक्तियों में से कोई भी रिक्ति निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं, के रूप में चिन्हित नहीं की गई हैं।

अथवा

- (*iii) कि इस अध्यायना के अंतर्गत ----- के पद को निशक्त व्यक्तियों की तैनाती किए जाने योग्य नहीं पाया गया है।

अथवा

- (*iv) कि जिस अभिकरण के लिए यह अध्यायना भेजी जा रही है, उसे निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के प्रावधान से छूट प्राप्त है।

- (ख) इस मांग को समस्त सीधी भर्ती रिक्तियों की संवीक्षा और दिनांक 16/05/2001 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.2/8/2001 पीआईसी में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कटौती लागू करने के पश्चात रखा जा रहा है।

- (ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिशेष प्रकोष्ठ (अब इसे पुनः प्रशिक्षण एवं पुनर्तैनाती प्रभाग के रूप में पदनामित किया गया है) और महानिदेशक (पुनर्वास) रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए गए हैं और उसे, इस मांग के संलग्नक के रूप में रखा गया है।

- (घ) मांग रखने से पहले सभी अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है।

(ड़) संबंघत संयुक्त सचिव/अपर सचिव (नाम और पदनाम दिए जाएं) द्वारा इस अधियाचना को देख लिया गया है और इसे उनके अनुमोदन से भेजा जा रहा है ।

(*जो लागू नहीं हैं उन खंडों को काट दें)

अधियाचना भेजने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम:

दूरभाष नं.:

तारीख:

स्थान: